E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 2818 /12-1 दिनांक, पौड़ी, जून 07 ,2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– जनपद चमोली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.383 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।
Proposal No- FP/UK/ROAD/145620/2021

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/137/2021/एफ0सी0/1814 दिनांक 31.03.2022

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 5306/12–1 दिनॉक 28.05.2022 से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 765/36सी0 दिनॉक 21.05.2022 से उनके कार्यालय को निम्नप्रकार प्रेषित किया गया है।

क्र.	चाही गई सूचना	आख्या
1.	यह पाया गया है कि वर्तमान मार्ग से लाभान्वित ग्राम आलयू की पैदल दूरी 500 मी0 है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण PWD के Norms के अनुसार ग्राम को जोड़ने हेतु नियमों के सम्बन्ध में जानकारी तथा टिप्पणी प्रस्तुत करने का कष्ट करे।	लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या 8167/III(2)/18–15(सामान्य)2018 दिनांक 31.12.2018 (संलग्न) के अनुसार 100 मी0 Vertically की दूरी पर ग्राम सड़क से जुड़ा माना जाता है। ग्राम आलयू की वर्तमान मार्ग से पैदल दूरी 500मी0 है। ग्रामवासियों को यह पदैल दूरी लगभग तीखे ढ़ाल (चड़ाई व उतराई) में तय करनी पड़ती है जो कि 100 मी0 Vertical से अधिक है। ग्रामवासियों की मांग के आधार पर उक्त कार्य की वित्तीय स्वीकृति कार्यालय जिला अधिकारी चमोली के पत्रांक 1233/जि. ओ./ 2015716 दिनांक 11/08/2105 रू0 2.00 लाख (प्रथम चरण) द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।
2.	प्रस्ताव के अवलोकन उपरान्त यह ज्ञात होता है कि क्षेत्र में पूर्व से ही मार्ग उपस्थित है तथा घने वन क्षेत्र से अतिरिक्त मार्ग का औचित्य स्पष्ट नही है।	लोक निर्माण विभाग थराली द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग का निर्माण ग्राम आलयू से चलियापानी तक किया जाना है चलियापानी नामक स्थान मोटर मार्ग नारायणबगड़ परखाल–चोपता पर स्थित है जो कि MTRL (Major Road Link) की श्रेणी में है तथा दूसरा मोटर मार्ग परखाल नामक स्थान से ग्राम डुंग्री आलयु तक जाता है, इस मोटर मार्ग के End Point से ग्राम आलयु की दूरी लगभग 500मी0 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण का उदेश्य नजदीकी Existing Road के End point को ग्राम आलयू होते हुए चलियापानी नामक स्थान (मोटर मार्ग नारायणबगड़ परखाल–चोपता) से जोड़ना है क्योकि यह मार्ग आगे जाकर NH-58 से जुड़ता है व इससे ग्राम आलयू की महत्वपूर्ण स्थलों जैसे जिला मुख्यालय चमोली राजधानी देहरादून की दूरी कम हो जायेगी। वही अगर ग्राम आलयू को नजदीकी Existing Road से जोड़ा जाता है तो ऐसा होने से ग्राम आलयू की महत्वपूर्ण स्थलो से दूरी लगभग 50–60 किमी0 अधिक हो जायेगी। साथ ही ग्राम आलयू के निवासियों को चलियापानी आने के लिये घने वन क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। जिससे जंगली जानवर, भालू, बाघ आदि के आक्रमण का खतरा बना रहा है। अतः उक्त प्रस्ताव का गठन ग्राम आलयू को चलियापानी नामक स्थान (मोटर मार्ग नारायणबगड़ परखाल चोपता) को जोड़ने हेतु गठित किया गया है, तथा प्रस्तावित समरेखण के अतिरिक्त कोई अन्य समरेखण निर्माण की दृष्टि से उपयुक्त प्रतीत नही होता है, क्योकि अन्य समरेखणो पर वृक्षो की संख्या, वन भूमि, व भूस्खलन स्थल अधिक मात्रा में आ रहे है।

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

3.	प्रस्ताव में वैकल्पिक समरेखण में भी उचित परीक्षण नही किया गया है अतः राज्य सरकार प्रस्तावित Connectivity हेतु वैकल्पिक समेरखण का उचित परीक्षण कर पूर्ण जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करे।	लोक निर्माण विभाग, थराली द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग का निर्माण ग्राम आलयू से चलियापानी तक किया जाना है। चलियापानी नामक स्थान मोटर मार्ग नारायणबगड़ परखाल चोपता पर स्थित है तथा दूसरा मोटर मार्ग परखाल नामक स्थान से ग्राम डुंग्री होते हुए ग्राम आलयू तक जाता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण का उदेश्य नजदीकी Existing Road के End Point को ग्राम आलयू होते हुए चलियापानी नामक स्थान (मोटर मार्ग नारायणबगड़–परखाल–चोपता) से जोड़ना है, क्योकि यह मार्ग आगे जाकर NH-58 से जुड़ता है, व इससे ग्राम आलयू की महत्वपूर्ण स्थलो जैसे मुख्यालय चमोली, राजधानी देहरादून की दूरी कम हो जायेगी। साथ ही प्रथम (मुख्य) समरेखण में मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम डुंग्री के निवासियों को भी लाभ मिलेगा, जो कि वर्तमान में पूर्व निर्मित मार्ग (नारायणबगड़–परखाल–डुंग्री) का प्रयोग कर रहे है और उन्हे भी महत्वपूर्ण स्थलों में आवागमन हेतु काफी दूरी तय करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक समरेखण का नजदीकी Existing Road से कही भी मिलान नही हो रहा है। जिससे ग्राम डुंग्री के निवासियों को इसका लाभ नही मिल पाएगा। साथ ही दोनो समरेखण का विस्तृत तुलनात्मक विवरण ऑनलाईन अपलोड कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोपरि

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,पौड़ी।

JAIDEEP

संख्या : 0167 / III(2)/ 18–15(सामान्य)/ 2018

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण विभाग–2

देहरादूनः दिनांक : 13 / दिसम्बर, 2018

विषयः लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु नीति का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने तथा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभागीय वार्षिक आय–व्ययक में प्राविधानित बजट को विभिन्न योजनाओं/मदों में विभाजित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निम्नवत नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती हैं :–

(i) राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के मानकानुसार नवीनीकरण हेतु वर्तमान स्थिति के सापेक्ष लगभग 25% धनराशि पृथक से प्रत्येक वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।

(ii) सड़क सुरक्षा हेतु वार्षिक बजट के आकार की 5% एवं पुलों के निर्माण तथा रख–रखाव के लिये वार्षिक बजट के आकार की 15% धनराशि वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।

(iii) वार्षिक बजट की शेष धनराशि लगभग 55% नवनिर्माण एवं ग्रामीण मार्ग/हल्का वाहन मार्ग/वार्षिक अनुरक्षण के लिए प्राविधानित की जाय।

(iv) राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाय।

(v) जिन ग्रामों/आबादियों को किसी न किसी मार्ग से सड़क संयोजकता पूर्व से ही सुलभ हो, उन ग्रामों/आबादियों को अतिरिक्त/दोहरी मार्ग संयोजकता सामान्यतः प्रदान न की जाय।

(vi) राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये 05 किमी0 से अधिक लम्बाई के मोटर मार्गों को स्वीकृति हेतु द्वितीय चरण में प्रस्तावित न किया जाय, वरन् अधिक लम्बाई वाले ऐसे मोटर मार्गों को एक एक करके (One by one) विभिन्न चरणों में स्वीकृति प्रदान की जाय।

(vii) ऐसे मार्गों को, जो कि राज्य मार्ग या अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में नही है तथा जिनमें प्रतिदिन यातायात 400 भारी वाहन से कम है, को बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा न किया जाय।

(viii) समस्त आबादी वाले भागों के मुख्य मार्गों में निर्माण हेतु edge to edge ब्लैक टॉप/इन्टरलॉकिंग सी0सी0 टाईल्स अथवा Brick on Edge तथा पक्की नाली निर्माण का प्राविधान अवश्य रखा जाय।

क्रमशः.....पृष्ठ 2 पर

Scanned by CamScanner

(ix) मुख्यमत्री आन्तरिक सम्पर्क योजना के तहत 500 मी0 से अधिक लम्बाई एवं 4.25 मी0 से अधिक चौडाई के मोटर मार्गों तथा 20 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओं के निर्माण हेतु मा0 विधायकों की प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को लिया जायेगा। 02 लेन से कम चौडाई वाले मार्गों को सी0सी0 के स्थान पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स से किया जाय, जो M-40 से कम नहीं होगी।

(x) MORTH के परिपत्र संख्या : NH-15017/28/2018-P&M दिनांक 23.03.2018 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 PCUs प्रतिदिन से अधिक परन्तु 8000 PCUs से कम यातायात होने पर Intermediate lane(5.50 m) का प्राविधान, 10000 से अधिक PCUs यातायात होने पर 02 लेन अर्थात 07मी0 कैरिज वे का निर्माण एवं 10000 से अधिक PCUs तथा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक Traffic Growth पर 07 मी0 कैरिज वे Paved Shoulder के साथ मार्ग निर्माण का प्राविधान किया जाय।

(xi) नये मोटर मार्गों के लिए सामान्य अनुरक्षण कार्यों हेतु कार्य समाप्ति के **defect liability period** सहित 03 वर्ष तक के लिये अनुबन्ध में ही यह प्राविधान कर दिया जाए कि मोटर मार्गों का अनुरक्षण भी सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रथम वर्ष हेतु कुल लागत का 0.5 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.00 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.5 प्रतिशत की दरों पर किया जाय। इस अवधि में सामान्य अनुरक्षण मद से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।

(xii) पैदल/झूला सेतुओं के निर्माण में Carriage way की चौड़ाई 1.80 मी0 तक सीमित रखी जाय। ग्रामीण भागों में नदी पर 02 किमी0 से कम दूरी पर दूसरा सेतु निर्मित न किया जाय।

(xiii) सामान्यतः Single lane में निर्मित होने वाले Steel bridges के अन्तर्गत 57 मी0 स्पान तक Modular bridges का निर्माण किया जाय, जिन्हें कि भविष्य में आवश्यकता पडने पर Two lane अथवा किसी भी सीमा तक Multi lane में विस्तारित किया जा सके।

(xiv) प्रदेश में रू0 10.00 करोड़ से अधिक लागत तथा 60 मी0 से अधिक स्पान के सेतुओं को E.P.C. (Engineering Procurement Construction) Mode के माध्यम से करवाया जाय। विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये यह प्राविधान उनकी सहमति पर ही लागू होंगे अन्यथा नहीं।

(xv) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत ऐसे निर्माण कार्यों, जिनकी वनभूमि की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, स्थानीय स्तर पर विवाद होने या अन्य कारणों से श्रमिक/सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव न हो, की पुनरीक्षित स्वीकृति को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–378/XXVII/(2)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

3.

भवदीय

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

क्रमशः.....पृष्ठ 3 पर

Scanned by CamScanner